प्रेस नोटथाना मंडी धनौरादिनांक 27.06.2021

कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का खुलासा, शातिर लूटेरा गिरफ्तार, लूट में प्रयुक्त मोटर साईकिल अवैध शस्त्र व लूटी रकम बरामद।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारालूट की घटना का खुलासा कर 02 अभियुक्त अवैध असलहों सहित गिरफ्तार। अवगत कराना है कि दिनांक 11.01.2021 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 ध्वजाराम निवासी ग्राम शेरपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा 03 अज्ञात चोरो द्वारा

उक्त लूट की घटना का खुलासा करते हुये थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर खावडी चौराहे से आजमपुर की और जाने वाले रास्ते से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खडे 02 अभियुक्त 1. तहजीब पुत्र जमील निवासी ग्राम सिरसवां दोरोहा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद व 2. अण्टी उर्फ सुहैल पुत्र सत्तार निवासी ग्राम लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 नाजायज चाकू व 02 पीली धातू के कडे, 02 हाथ की घडिया व 02 अंगुठी पीली धातु बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0सं0 236/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम तहजीब व मु0अ0सं0 237/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम अण्टी उर्फ सुहैल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2021 को वादी प्रवीन शर्मा (कलेक्शन एजेंट) पुत्र पवन शर्मा निवासी जमराऊ थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा नौगावां धनौरा रोड से ग्राम मिलक अखत्यारपुर को जाने वाले लिंक मार्ग पर तीन अज्ञात लडकों द्वारा तमंचों से डरा धमकाकर कलेक्शन के 24950/- रुपयें लूटने के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0सं0 199/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। लूट की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

उक्त लूट की घटना का खुलासा करते हुए थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कल शाम कुआंखेडा से वासीपुर नहर पटरी से लूट की घटना में शामिल अभियुक्त सलमान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम कुआंखेडा थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से लूट में प्रयुक्त स्पलेन्डर प्लस मोटर साईकिल(बिना नम्बर प्लेट), लूट की रकम के 3200/- रुपये व 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंडी

धनौरा पर मु0अ0सं0 230/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त सलमान द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.06.2021 को मैने अपने साथी 1. कफील पुत्र अशरफ व 2. अन्नु उर्फ सद्दाम पुत्र नसीम निवासीगण ग्राम कुआखेडा थाना बछरायूं के साथ मिलकर अखत्यारपुरजाने वाले रास्ते पर इसी मोटरसाइकिल से तमंचा दिखाकर कलेक्शन एजेंट से रुपयों का बैग छिना थातथा बैग से पैसे निकालकर बैग को चुचैलानहर में फेंक दिया और चांदपुर की ओर चले गये। लूट की रकम को आपस में बराबर बांट लिया तथा लूट की रकम के शेष 3200/- रुपयेंबरामद होना व शेष रुपये खाने पीने में खर्च होना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.तहजीब पुत्र जमील निवासी ग्राम सिरसवां दोरोहा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

2. अण्टी उर्फ सुहैल पुत्र सत्तार निवासी ग्राम लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी:-

1.01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 नाजायज चाकू।

2. 02 पीली धातू के कडे, 02 हाथ की घडिया, 02 अंगुठी पीली धातू (लूट के पैसों से खरीदे गये)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तहजीब:-

1.मु0अ0सं0 17/2021 धारा 392,411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

2.मु0अ0सं0 236/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अण्टी उर्फ सुहैल:-

1.मु0अ0सं0 17/2021 धारा 392,411 भादवि थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

2.मु0अ0सं0 237/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जयवीर सिंह थाना मंडी धनौरा अमरोहा।

2. उ0नि0 श्री सुनील मलिक थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा। **3.**का0 589 भुवनेश कुमार थाना मंडी धनौरा अमरोहा।

4.का0 1238 नीशू चौधरी थाना मंडी धनौरा अमरोहा।**5.**हो0गा0 589 राणा सिंह थाना मंडी धनौरा अमरोहा।